

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरौही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही
2. श्रीमती गेरी बाई पत्नी श्री प्रेमाजी जाति-चौधरी निवासी- वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही

पंचायत निगरानी संख्या: 255/2020

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरौही(प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, अप्रार्थी संख्या- 2 की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक 01 दिसम्बर, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 12010 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आवेदन जिला कलक्टर न्यायालय, सिरौही के क्षेत्राधिकार के होने से जिला कलक्टर न्यायालय, सिरौही में प्रस्तुत किया गया। जिला कलक्टर, सिरौही के आदेश क्रमांक:कोर्ट/2020/742-43 दिनांक 20.10.2020 से उक्त निगरानी आवेदन इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा) को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.3.2021 को श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन बहस हेतु नियत तिथि को अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

(3) प्रकरण में दिनांक 16.11.2021 को बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरौही ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 05.6.2017 में प्रस्ताव संख्या 7 पारित कर अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लेते हुए अप्रार्थी संख्या- 2 के पक्ष में जो पट्टा दिनांक 08.6.2017 को जारी किया गया है, वह राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत प्रारूप 23ख में जारी किया गया है जो कानूनन गलत है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने का पात्र व्यक्ति नहीं है

....पेज दो पर



अ
कलक्टर, जिला सिरौही
सिरौही (राज.)

ही राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा प्राप्त करने का पात्र व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या-2 का आवासीय मकान ग्राम वाटेरा में पुरानी आबादी भूमि में बना हुआ है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अर्न्तगत ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी-झोपडी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्ग गज तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररूप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पंचायत ग्राम की आबादी में 300 वर्गगज तक की भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति, स्वच्छकारों, पिछड़े वर्ग के सदस्यों, कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, बी.पी.एल. में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों या जिनके आवास बाढ़ के कारण बह गये है व भविष्य में रहने योग्य नहीं रहे है को रियायती दर पर/निःशुल्क आवंटन कर सकेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ. 40पीसी/परावि/आबादी पट्टा/2009/96 दिनांक 06.1.2020 में स्पष्ट किया है राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत कमजोर वर्गों को रियायती दर पर/निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का प्रावधान है एवं बीपीएल सेन्सस 2002 के सर्वे में ऐसे परिवार जिनके पास राज्य में कोई भूखण्ड या मकान नहीं है और वे इस नियम में भूखण्ड पाने के पात्र है। पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.4(1)परावि/पीसी/आभू/2004/597 दिनांक 18.6.2004 में स्पष्ट किया है कि पात्र परिवार की वार्षिक आय 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) से अधिक नहीं हो। अप्रार्थी संख्या-2 का राज्य में कहीं पर भी आवासीय मकान या आवासीय भूखण्ड है या नहीं, की जांच किये बिना ही ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। यह कि ग्राम पंचायत, वाटेरा को आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के तहत प्लान तैयार किये बिना ही पट्टे जारी किये है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से आबादी विस्तार हेतु आवंटित आबादी भूमि का सीमाज्ञान भी नहीं करवाया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों का पालन किये बिना ही अप्रार्थी संख्या-2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लेते हुए उक्त नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी किया है, जो गलत है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा के संकल्प संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 को एवं इसके अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा को ग्राम वाटेरा में आबादी विस्तार हेतु खसरा संख्या 382, 697 व 1148 रकबा क्रमशः 12.01 बीघा, 1.13 बीघा, 0.07 बीघा में से 5 बीघा, 1.12 बीघा व 0.07 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा द्वारा दिनांक 11.8.2016 को आवंटित की गई थी एवं आवंटन की शर्त अनुसार उक्त आबादी भूमि के भूखण्डों का नक्शा तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन करवाकर राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत भूखण्ड पाने की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों के पात्रता की जांच करवाकर नियमानुसार भूखण्ड आवंटित कर पट्टे जारी किये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती है। अप्रार्थी संख्या-2 भी राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड पाने का पात्र व्यक्ति था, जिसके पात्रता की जांच कर नियमानुसार भूखण्ड आवंटित कर पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत वर्णित श्रेणी के व्यक्तियों को 300 वर्गगज

.....पेज तीन पर




a
 श्री. वि. वि. वि.
 पंचायत ()

पाया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 05.6.2017 में प्रस्ताव संख्या 7 पारित कर अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लेते हुए इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत प्रारूप 23 ख में पट्टा विलेख संख्या 12010 दिनांक 08.6.2017 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158(1) के अनुसार पंचायत, गांव आबादियों में 3000 वर्गगज तक कि आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को, गांव कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़ियों लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, को रियायती दरों पर आवंटन कर सकेगी।

प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन के संबंध में प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 को पारित किया गया था, जबकि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत प्रारूप 23 ख में पट्टा जारी किया गया है, जो कानूनन गलत है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक:राजस्व/2016/208 दिनांक 11.3.2016 के द्वारा ग्राम पंचायत, वाटेरा को ग्राम वाटेरा के खसरा संख्या 382, 697, 1148 किस्म क्रमशः गै.मु. पहाड, गै.मु. पत्थर, गै.मु. पत्थर में से रकबा क्रमशः 5.00 बीघा, 1.12 बीघा व 0.07 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-3 के अनुसार अतिक्रमण शुदा कब्जे की भूमि को बाजार दर पर राशि जमा कराने पर ही आबादी के लिये ग्राम पंचायत विक्रय कर पट्टा जारी करेगी, अन्यथा अतिक्रमियों को मौके से बेदखल कर दिया जायेगा। इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर पट्टा देने का निर्णय लेती है तो अतिक्रमियों के पास आवास है या नहीं, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी (मौका रिपोर्ट वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे। आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि के भूखण्डों का नक्शा प्लान तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा। पंचायती राज अधिनियम व उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार भूखण्ड पाने की पात्रता रखते है, उन्हें नियमानुसार भूखण्ड आवंटन किये जा सकेंगे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुनीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार नहीं किया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा के पास ऐसा कोई प्लान नक्शा उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थी संख्या-2 को कौन से खसरा संख्या नंबर में किस भूखण्ड का पट्टा जारी किया है, जो उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश दिनांक 11.3.2016 की शर्त संख्या-6 का उल्लंघन है। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का निर्णय लेती है तो इन व्यक्तियों/अतिक्रमियों के पास आवास है या नहीं, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी को (मौका रिपोर्ट लेने वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे,

.....पेज पांच पर



a

हिरेपो | 00

लेकिन ग्राम पंचायत, वाटेरा ने उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 की भी पालना नहीं की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखती है। इससे, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार करवाये बिना ही एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 के रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन की पात्रता की जांच किये बिना ही अप्रार्थी संख्या-2 को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का पंचायत बैठक में निर्णय लेते हुए पट्टा विलेख जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रेबारी समाज के व्यक्तियों के पुराने आवास बने हुये हैं, जिन्हें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत पट्टे जारी करने थे, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत विक्रय विलेख जारी कर नियमों की अवहेलना की गई है।

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 12010 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर. खौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही